

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी

जगदीश प्रसाद गौड़  
आर.ए.एस.

राजस्व विविध : 223 / 2021

श्री सीमेंट लिमिटेड, रजिस्टर्ड ऑफिस बांगड़ नगर, ब्यावर, जिला अजमेर जरिये  
अधिकृत प्रतिनिधि स्वदेश सिंह पुत्र श्री जसवंत सिंह, आयु 49 वर्ष, जाति राजपूत,  
निवासी बांगड़ नगर, ब्यावर, जिला अजमेर (राज0)

—प्रार्थी

—बनाम—

1. नेमीचन्द पुत्र प्रभू आयु-वयस्क जाति-अहीर निवासी ग्राम चौढाणी  
तहसील-नवलगढ जिला-झून्झुनू (राज.)।
2. कालूराम पुत्र प्रभू आयु-वयस्क जाति-अहीर निवासी ग्राम चौढाणी  
तहसील-नवलगढ जिला-झून्झुनू (राज.)।
3. छोटी पुत्री प्रभू आयु-वयस्क जाति-अहीर निवासी ग्राम चौढाणी  
तहसील-नवलगढ जिला-झून्झुनू (राज.)।
4. झिमला पुत्री प्रभू आयु-वयस्क जाति-अहीर निवासी ग्राम चौढाणी  
तहसील-नवलगढ जिला-झून्झुनू (राज.)।
5. सुमित्रा पुत्री प्रभू आयु-वयस्क जाति-अहीर निवासी ग्राम चौढाणी  
तहसील-नवलगढ जिला-झून्झुनू (राज.)।
6. बनवारीलाल पुत्र महादू आयु-वयस्क जाति-अहीर निवासी ग्राम चौढाणी  
तहसील-नवलगढ जिला-झून्झुनू (राज.)।
7. गोरु पुत्र बिड़दू आयु-वयस्क जाति-अहीर निवासी ग्राम चौढाणी  
तहसील-नवलगढ जिला-झून्झुनू (राज.)।
8. नानचा पुत्र बिड़दू आयु-वयस्क जाति-अहीर निवासी ग्राम चौढाणी  
तहसील-नवलगढ जिला-झून्झुनू (राज.)।
9. घीसा पुत्र बिड़दू आयु-वयस्क जाति-अहीर निवासी ग्राम चौढाणी  
तहसील-नवलगढ जिला-झून्झुनू (राज.)।
10. धोकल पुत्र बालू आयु-वयस्क जाति-अहीर निवासी ग्राम चौढाणी  
तहसील-नवलगढ जिला-झून्झुनू (राज.)।
11. कुरड़ा पुत्र धन्ना आयु-वयस्क जाति-अहीर निवासी ग्राम चौढाणी  
तहसील-नवलगढ जिला-झून्झुनू (राज.)।
12. नागरमल पुत्र धन्ना आयु-वयस्क जाति-अहीर निवासी ग्राम चौढाणी  
तहसील-नवलगढ जिला-झून्झुनू (राज.)।

ज 141  
अति. जिला कलक्टर  
झुन्झुनू





कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पट्टा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नहीं कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नहीं चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र अं० धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार कर उपरोक्त भूमि के मुआवजे का निर्धारण कर भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुषंगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध कराने के आदेश फरमावे।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार बदामी पत्नी बालू बिड़दू पुत्र लादू व धन्ना पुत्र लादू के फोट होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 7 गोरु पुत्र बिड़दू, अप्रार्थी संख्या 8 नानचा पुत्र बिड़दू, अप्रार्थी संख्या 9 घीसा पुत्र बिड़दू, अप्रार्थी संख्या 10 धोकल पुत्र बालू, अप्रार्थी संख्या 11 कुरड़ाराम पुत्र धन्ना, अप्रार्थी संख्या 12 नागरमल पुत्र धन्ना, अप्रार्थी संख्या 13 सोनी पत्नी धन्ना, को पक्षकार बनाया गया है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को तारीख पेशी की सूचना नकल प्रार्थना पत्र के साथ भेजकर दी गई। क्षतिपूर्ति मुआवजा/मौका जांच रिपोर्ट तलब की गई। मौका जांच/मुआवजा क्षतिपूर्ति रिपोर्ट प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का कथन है कि- प्रार्थी कम्पनी को खान एवं भू विज्ञान राजस्थान सरकार द्वारा खनन पट्टा एम. एल. न. 47/2007, खान ग्रुप-2 विभाग के आदेश क्रमांक प.2(113) खान/ग्रुप-2/2007/ दिनांक 12.04.2019 के आदेश द्वारा खनन पट्टा वास्ते खनिज लाईमस्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठड़ा), तहसील नवलगढ़, जिला झुंझुनूं में 6.24 वर्ग कि.मी. भूमि खनन कार्य हेतु स्वीकृत किया गया है। प्रार्थी के पक्ष में उक्त खनन पट्टा राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है, उक्त खनन पट्टा की लीज डीड दिनांक 18.04.2019 को निष्पादित की जाकर दिनांक 08.05.2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ़ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया। उक्त खनन पट्टा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोठड़ा) तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनूं में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध में समय समय पर लागू संशोधित

जांच  
निष्पादित  
रजिस्टर

विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। लीजडीड के अनुसार प्रार्थी को ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ में अवस्थित भूमि जिनके खसरा नम्बर पृथक पृथक है के खातेदारान से अवाप्त कर कम्पनी खनन कार्य करने हेतु प्रक्रियाधीन है। ग्राम चौढाणी के नया खाता संख्या 33 खसरा संख्या 504 रकबा 0.0600 हैक्टेयर किस्म बारानी-2 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 का हिस्सा 5/6 अर्थात् 0.0500 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है, जो प्रार्थी ईकाई को खनन एवं भूविज्ञान विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र में स्थित है, जिसमें प्रार्थी ईकाई द्वारा अपने लीज क्षेत्र में खनन तथा समनुषंगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 89 (2) में वर्णित कार्य हेतु आवश्यकता जाहिर की है एवं यह कथन किया कि इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी खनन पट्टा क्षेत्र के उक्त भाग में खनन कार्य नहीं कर सकते तथा इसके अभाव में प्रार्थी कम्पनी अपने उद्योग को नहीं चला पायेगी तथा उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इस कारण उक्त आराजी का उपयोग एवं आधिपत्य प्रार्थी ईकाई को प्रदान कराना आवश्यक है। अप्रार्थी की उक्त भूमि का मुआवजा अदा करने हेतु प्रार्थी कम्पनी तैयार है। अतः उपरोक्त भूमि का मुआवजा निर्धारित करावें एवं भूमि प्रार्थी कम्पनी को खनन कार्य व समनुषंगी कार्य (subsidiary purposes) के उपयोगार्थ उपलब्ध करावे।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने बह समे कहा कि प्रार्थना पत्र वादग्रस्त भूमि में सह खातेदार बदामी पत्नी बालू बिड़दू पुत्र लादू व धन्ना पुत्र लादू के फोट होने के कारण उनके कानूनी वारिसान अप्रार्थी संख्या 7 गोरु पुत्र बिड़दू, अप्रार्थी संख्या 8 नानचा पुत्र बिड़दू, अप्रार्थी संख्या 9 घीसा पुत्र बिड़दू, अप्रार्थी संख्या 10 धोकल पुत्र बालू अप्रार्थी संख्या 11 कुरड़ाराम पुत्र धन्ना, अप्रार्थी संख्या 12 नागरमल पुत्र धन्ना, अप्रार्थी संख्या 13 सोनी पत्नी धन्ना को पक्षकार बनाया गया है। जिसको तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में भी उक्त वारिसान के नाम से उनके हिस्से की भूमि का मुआवजा तय करने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है।

अप्रार्थी संख्या-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 व 14 बावजूद नोटिस तामील के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस बताया कि उक्त भूमि का खनन पट्टा प्रार्थी कम्पनी के पक्ष में राजस्थान सरकार की ओर से निष्पादित है। उक्त खनन पट्टा की लीज डीड दिनांक 18.04.2019 को निष्पादित की जाकर दिनांक 08.05.2019 को उप पंजीयक महोदय नवलगढ के कार्यालय में पंजीबद्ध किया गया।

उक्त  
अधिवक्ता

उक्त खनन पट्टा वास्ते खनन लाईम स्टोन निकट ग्राम परसरामपुरा (गोटडा) तहसील नवलगढ जिला झुंझुनूं में प्रार्थी कम्पनी को एक निश्चित अवधि के लिए जो इस संबंध में समय समय पर लागू संशोधित विधियों के अधीन है के लिए दिया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत क्षतिपूर्ति मुआवजा रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थना पत्र का निस्तारण किया जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया एवं विद्वान अधिवक्तागण उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी कम्पनी को माईनिंग लीज प्राप्त है। तहसीलदार नवलगढ द्वारा प्रेषित मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी ईकाई की माईनिंग लीज क्षेत्र ग्राम चौढाणी के नया खाता संख्या 33 खसरा संख्या 504 रकबा 0.0600 हैक्टेयर किस्म बारानी-2 कुल रकबा 0.0600 हैक्टेयर भूमि में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 14 का हिस्सा 5/6 अर्थात् 0.0500 हैक्टेयर भूमि खातेदारी की है, जो लीज क्षेत्र में आयी हुई है। तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार उक्त आराजी की वर्तमान डी.एल.सी. दर 4,65,291/-रुपये प्रति हैक्टेयर होती है तथा प्रश्नगत भूमि नगरपालिका क्षेत्र से 19 किलो मीटर की दूरी पर स्थित है। तहसीलदार नवलगढ की मौका जांच रिपोर्ट में उक्त आराजियात पर स्थित पेड़ पौधों की संख्या एवं कीमत अंकित की गई है। खनन एवं समनुषंगी कार्यों हेतु प्रार्थी को उक्त भूमि की आवश्यकता है। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89 (4) के अनुसार खनिज सम्पदा के दोहन से यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उस व्यक्ति को सुनाजाकर राज्य सरकार या उसका अभिहस्तांकित ऐसे व्यक्तियों को इस प्रकार के उल्लंघन के लिये प्रतिकर देगा एवं ऐसे प्रतिकर की धनराशि का निर्धारण भू अवाप्ति अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार इस न्यायालय द्वारा किया जाना है।

राजस्व (ग्रुप 6) विभाग अधिसूचना क्रमांक पं.1 (3) राज-6/2011/पार्ट/14 दिनांक 16.10.14 के अनुसार प्राइवेट कम्पनी द्वारा भूमि अर्जन करने की स्थिति में पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था के प्रावधान लागू करने के लिए अवाप्ति भू क्षेत्र की सीमा ग्रामीण क्षेत्र में 1000 हैक्टेयर तथा शहरी क्षेत्र में 200 हैक्टेयर है। प्रार्थी कम्पनी का अवाप्ति क्षेत्र उक्त सीमा से कम होने से उक्त प्रावधान लागू नहीं होते हैं। भूमि अवाप्ति के सम्बंध में नया भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 दिनांक 01 जनवरी 2014 से लागू होकर, उनके प्रावधानों के अनुसार ही भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया एवं भूस्वामियों को दिये जाने वाले मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। चूंकि राज्य सरकार की

2017  
जिला कलेक्टर  
झुंझुनूं

ओर से भूमि अवाप्ति के सम्बन्ध में अलग से कोई भूमि अवाप्ति अधिनियम लागू नहीं किया गया है, अतः प्रकरण में नए एक्ट के प्रावधानों के अनुसार ही मुआवजे का निर्धारण किया जाना है। नये भूमि अवाप्ति पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचि प्रथम में भूमि धारकों को प्रतिकर के बारे में उल्लेख किया गया है, जिसके क्रम संख्या 1 से 6 के अन्तर्गत कुल प्रतिकर की गणना की किस प्रकार की जायेगी, का क्रमवार उल्लेख किया गया है। एवं उक्त अनुसूची की क्रम संख्या 2 के अनुसार दिये जाने वाले प्रतिकर के कारकों 1 से 2 जो कि प्रस्तावित प्रोजेक्ट की दूरी पर आधारित होगा, जैसा कि संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाये, क्रम संख्या 4 में भूमि से जुड़ी हुई सम्पत्तियों के निर्धारण एवं क्रम संख्या 5 में तोषण का निर्धारण किस प्रकार किया जायेगा, का उल्लेख किया गया है।

तहसीलदार नवलगढ से प्राप्त मौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि की दूरी निकटतम नगरपालिका क्षेत्र से 19 कि.मी. है एवं उपरोक्त उल्लेखित राजस्व (ग्रुप-6) विभाग अधिसूचना क्रंमाक पं.1(3) राज-6/2011/पार्ट/26 दिनांक 14.06.16 में उल्लेखित भूमि का गुणक, जिससे बाजार मूल्य गुणित किया जावेगा वह 1.50 है तथा गुणित किये गये उक्त बाजार मूल्य में एक्ट की अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार पेड़ पौधों व संपत्ति की कीमत को जोड़ा जाना है एवं धारा 30(1) के अनुसार ऐसी राशि की शत प्रतिशत तोषण की राशि होगी। प्रार्थी को राज्य सरकार के खनन विभाग द्वारा विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत खनन कार्य हेतु खनन पट्टा पंजीयन की तिथि 08.05.2019 से 50 वर्ष तक की अवधि के लिए प्रदान किया गया है, जिसके खनन कार्य व सहायक कार्य हेतु प्रश्नगत भूमि चाही जाने से इस भूमि के खातेदार के सरफेस राईट का उल्लंघन होगा। जिसके लिए खातेदार अप्रार्थी को प्रतिकर राशि का भुगतान किया जाना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 89 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है तथा प्रतिकर का निर्धारण खातेदारान को सारणी में दर्ज अनुसार गणनाकर किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 से लगायत 14 खातेदारान का हिस्सा निम्नानुसार है:-

नेमीचन्द पुत्र प्रभु हिस्सा 1/30, कालूराम पुत्र प्रभु हिस्सा 1/30, छोटी पुत्री प्रभु हिस्सा 1/30, झिमला पुत्री प्रभु हिस्सा 1/30, सुमित्रा पुत्री प्रभु हिस्सा 1/30, बनवारीलाल पुत्र महादू हिस्सा 1/12, गोरु पुत्र बिड़दू हिस्सा 1/18, नानच पुत्र बिड़दू हिस्सा 1/18, घीसा पुत्र बिड़दू हिस्सा 1/18, धोकल पुत्र बालू हिस्सा 1/12, कुरड़ाराम पुत्र धन्ना हिस्सा 1/18, नागरमल पुत्र धन्ना हिस्सा 1/18, सोनी

5/11/19  
 जिला नवलगढ  
 ब्राह्मण

पत्नी धन्ना हिस्सा 1/18, रामप्रताप दत्तक पुत्र जीवण हिस्सा 1/6 जाति अहीर निवासी ग्राम चौढाणी तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू ।

क्रं. सं.	खातेदार का नाम जिसका विवरण जमाबंदी में अंकित है	खसरा नं.	रकबा जिसका प्रतिकर निर्धारण किया जाना	भूमि किस्म	डी.एल. सी.दर प्रति हैक्टेयर	राशि (कालम संख्या 3X5)	नगर पालिका से दूरीकिमी मे व उसके अनुसार गुणक		कुल राशि (कॉलम संख्या 6 X 8) रु.
							7	8	
A	उपरोक्तानुसार	504	0.0500 हैक्टेयर	बारानी -2	465291	23265	19	1.50	34898
B	योग	1	0.0500						34898
C	प्रभावित भूमि पर अवस्थित पेड़ों की मालियत								0
D	अन्य संरचना (धोरा एवं तारबन्दी वगैरा) निर्माण नहीं है								0
E	योग (कॉलम संख्या B+C+D)								34898
F	तोषण 100 प्रतिशत (कॉलम E के समान राशि)								34898
G	कुल देय प्रतिकर राशि (E+F)								69796

अतः आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी कम्पनी उपरोक्त मुआवजा राशि के पूर्णांक राशि रुपये 69,796/- (अक्षरे उनहत्तर हजार सात सौ छियानवे रुपये मात्र) अप्रार्थी के नाम से बैंक बनाकर तहसीलदार नवलगढ को एक माह की अवधि में उपलब्ध करावे। तहसीलदार नवलगढ उक्त आराजी के संबंध में राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार एवं वर्तमान कब्जे के सम्बंध में सन्तुष्टि के उपरान्त यदि भूमि बैंक के रहन है तो बैंक से बकाया ऋण जमा का अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात ही सम्बन्धित खातेदार को हिस्से के अनुरूप मुआवजा राशि का भुगतान कर प्रमाणित करेंगे। अपील अवधि गुजरने के पश्चात राजस्व रेकॉर्ड में भूमि बिलानाम (सिवायचक) माईनिंग लीज श्री सीमेंट लि. अंकित की जावें। उपरोक्त भूमि का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को दिलाया जावे। प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी का उपयोग प्रार्थी इकाई को लीज अवधि तक प्रचलित नियमों, निर्देशों, लीज डीड व विभागीय परिपत्रों के तहत एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 89(2) में वर्णित माईनिंग के

उपरोक्त  
जिला कलेक्टर  
झुन्झुनू

संबंधित खनन कार्य व समनुषंगी कार्यो (subsidiary purposes) के लिए ही करने का अधिकार होगा। भविष्य में राज्य सरकार अथवा किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा राशि भुगतान में संशोधन किया जाता है तो प्रार्थी द्वारा अन्तर राशि की अदायगी नियमानुसार की जाएगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार नवलगढ/प्रार्थी कम्पनी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।



(जयदीश गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
झुन्झुनू(राज.)

निर्णय आज दिनांक 27/04/2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(जयदीश गौड़)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
झुन्झुनू(राज.)